बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0-

दिनांक- 18.7.17

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का LXIII) की धारा 112 एवं 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली, 1950 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ - (1) यह नियमावली बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली 1950 के नियम 95 की क्रम संख्या (20) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या (21) जोड़ी जायेगी:-"पत्थर के रूपान्तरण अथवा मुक्त सिलिका युक्त अन्य पदार्थ।"

3. उक्त नियमावली के नियम 95 के अनुसूची XX के पश्चात् निम्नलिखित नई अनुसूची जोड़ी जायेगी।

अनुसूची - XXI

पत्थरों का रूपान्तरण अथवा अन्य पदार्थ जिसमें मुक्त सिलिका युक्त अन्य पदार्थ मौजूद हो। निम्नलिखित गतिविधियों को पत्थरों या अन्य पदार्थ, जिसमें मुक्त सिलिका मौजूद हो, का रूपान्तरण माना जाएगा।

1. स्टोन क्रशर
2. रत्न एवं आभूषण
3. स्लेट पेंसिल निर्माण
4. गोमेद उद्योग
5. सिमेन्ट उद्योग
6. कुम्हारी
7. शीशा विनिर्माण

1. इस अनुसुची का लागू होना:- यह अनुसूची सभी कारखानों अथवा कारखानों के भागों में लागू होंगे, जहाँ मुक्त सिलिका का कार्य किया जा रहा हो।
2. **परिभाषाएँ।**- इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ-

(क) "रूपान्तरण" से अभिप्रेत है क्रशिंग, तोड़ना, चिपिंग, ड्रेसिंग, पिसना, छानना, मिश्रित करना, पत्थरों या मुक्त सिलिका युक्त अन्य पदार्थों का उठाना या वैसी अन्य प्रक्रियाएँ जिसमें उक्त पत्थर या पदार्थ शामिल हों।

(ख) **"पत्थर या अन्य पदार्थ जिसमें मुक्त सिलिका मौजूद हो"** से अभिप्रेत है पत्थर या अन्य पदार्थ जिसमें मुक्त सिलिका की मात्रा 5% से कम ना

3. **सुरक्षात्मक एवं नियंत्रक उपाय।** – किसी कारखाने या कारखाने के किसी भी भाग में किसी प्रकार का रूपान्तरण का कार्य तब तक नहीं किया जाएगा, जबतक कि निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक सुरक्षात्मक एवं नियंत्रक उपायों को अपना नहीं लिया जाय।

(1) अभियांत्रिक नियंत्रक उपाय

(i) **आद्र पद्धति।** –(क) वायु में मुक्त रूप से उपस्थित सिलिका धूल को जल प्रयोग अथवा सफाई कर कम या दमन किया जाना चाहिए।

(ख) राजगीरी या कंक्रीट के तोडे जाने या छेद करने की प्रक्रिया के दौरान जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ii) **रोशनदान।** –(क) उद्योग प्रक्रम से सिलिका धूल के निष्कासन के लिए स्थानीय निष्कासन प्रणाली का उपयोग होना चाहिए।

(ख) वृहत क्षेत्र में मुक्त सिलिका धुलकण की सघनता को कम करने हेतु तनुता/ संवातन को अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत ही की जानी चाहिए।

(ग) धूल संग्राहक /HEPA फिल्टर को इस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए कि स्रोत तथा सभी स्थानान्तरित बिन्दु से धूल को हटाया जा सके ताकि कार्यस्थल को दूषित होने से रोका जा सके।

(घ) संवातन प्रणाली को अच्छी तरह से कार्यरत अवस्था में रखा जाना चाहिए।

(iii) **आईसोलेशन।** – (क) बालू विस्फोट की प्रक्रिया के दौरान परिशोधन पद्धति अपनाया जाना चाहिए।

(ख) वाहन या कण्टाई तथा छिद्र करने वाली मशीनों के केबिन जिसमें मुक्त सिलिका की मौजूदगी संभव हो, उसे बन्द एवं सील होना चाहिए।

(iv) **धूल नियंत्रण।** – (क) कार्यक्षेत्र तथा सभी स्थानान्तरण बिन्दुओं से धूल को हटाने के लिए उच्च क्षमता पदार्थ वायु (HEPA) फिल्टर युक्त निर्वात पद्धति का उपयोग होना चाहिए।

(ख) चूर्ण पदार्थों के वाहन हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहक पट्टा पूरी तरह ढ़का होना चाहिए।

परन्तु यह कि उपर्युक्त नियंत्रण उपाय को लागू करना आवश्यक नहीं होगा, यदि प्रक्रिया या संचालन इस प्रकार हो कि धूल निर्माण एवं प्रचलन **इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित अनुज्ञेय सीमा से अधिक नहीं है।**

(2) **चिकित्सीय नियंत्रक उपाय।** – (i) प्रत्येक कारखाना के नियोजक या प्रबंधक, जहां कामगार का नियोजन उप नियम 1 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रम में किया गया हो, यह सुनिश्चित करेगा कि वहां कार्य करने वाले प्रत्येक कामगार का उसका प्रथम नियोजन के 15 दिनों के अन्दर कारखाना निरीक्षक (भैषज्य)/प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य जांच अवश्य कराया जाना चाहिए। इस स्वास्थ्य जांच में मूत्र एवं रक्त में लेड की मात्रा की जांच शामिल होगी। मूत्र में ALA की मात्रा, हिमोग्लोबीन अवयव, स्टीपर्लीग ऑफ सेल एवं स्थिरता की जांच शामिल किया जाना चाहिए। किसी भी कामगार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के उपरांत उस कारखाना में नियोजन की अनुमति प्रदान तबतक नहीं की जाएगी जबतक उसने प्रमाणक शल्य चिकित्सक से इस प्रकार के नियोजन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया है।

(ii) उक्त प्रक्रम में कार्यरत सभी कामगार की प्रत्येक बारह महीनों में कम से कम एक बार शल्य चिकित्सक द्वारा पुनः चिकित्सीय जाँच किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार के पुर्नजांच में जहां भी शल्य चिकित्सक उपर्युक्त समझे उपवाक्य खण्ड (1) में वर्णित x-ray को छोड़कर सभी प्रकार के जाँच कर सकते है। इस x- ray को उसी रेडियोलाजिस्ट द्वारा पढ़ा जाएगा जिसे आई0एल0ओ0 के नुमोकनिओसिस पर रेडियोग्राफ को पढ़ने के क्षेत्र में विशेषज्ञता/दक्षता हासिल हो एवं यह प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर किया जायेगा।

(iii) प्रमाणित करने वाले शल्य चिकित्सक, श्रमिक के चिकित्सीय परीक्षण के बाद विहित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करेगा। सभी स्वास्थ्य जांच एवं पुनः जाँच को संबंधित प्रमाण पत्र में अंकित किया जाना चाहिए एवं सभी प्रमाणपत्रों को कारखाना के प्रबंधक की अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षणों से संबंधित अभिलेख, जो उप वाक्य खंड (1) तथा (2) जाँच के प्रकृति एवं परिणाम वैसी सभी, की प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रपत्र पंजी के अभिलेखित किया जाना चाहिए।

(iv) यदि किसी भी समय जब प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक की यह राय हो कि श्रमिक इस प्रक्रिया में नियोजन के लिए स्वस्थ नहीं रह गया है एवं इस प्रक्रिया में कार्य करना उक्त श्रमिक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा वह श्रमिक उक्त नियोजन के लिए स्वस्थ नहीं है, तो वैसी सूचनाओं को भी वह स्वास्थ प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य पंजी में अभिलेखित करेगा। वैसी सूचनाओं में यह भी अंकित होना चाहिए कि उक्त श्रमिक किस कार्य अवधि के लिए कार्य करने में असक्षम है। वैसे श्रमिक जिन्हें कार्य से हटाया गया है, तबतक उनका वैकल्पिक नियोजन किया जाना चाहिए जबतक कि प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक उन्हें कार्य करने हेतु पूरी तरह से अयोग्य घोषित न करके, वैसे प्रभावित श्रमिक को उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) वैसे व्यक्ति जिनको उप कंडिका (4) में वर्णित स्थितियों में कार्य करने में अक्षम घोषित किया गया हो, वे तबतक उक्त प्रक्रिया में पुनः नियोजित नहीं किये जाएगे, जबतक कि प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक पुनः जाँच कर उन्हें उस उपक्रम में नियोजन के लिए योग्य घोषित न कर दें।

(vi) वैसे कारखाने जहां उक्त अनुसूचि के प्रावधान लागू होते है, के प्रबंधक/ नियोजक के द्वारा –

(क) नियोजित श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सक की नियुक्ति करेगा, जिसके नियोजन हेतु मुख्य कारखाना निरीक्षक की सहमति आवश्यक होगी।

(ख) नियुक्त चिकित्सक को कंडिका (क) में वर्णित उद्धेश्य की पूर्त्ति के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करनी होगी।

(vii) सभी चिकित्सीय परीक्षण तथा उपर्युक्त जांच के पश्चात् चिकित्सक द्वारा जारी सक्षमता तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र को अलग पंजी में अभिलेखित होना चाहिए, जो मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा अनुमोदित तथा उपलब्ध होना चाहिए एवं निरीक्षक द्वारा निरीक्षण हेतु मांगे जाने के समय पर सहज उपलब्ध कराया जाएगा।

(viii) प्रत्येक कामगार का स्वास्थ्य विवरणी नियोजन के शुरू होने से 40 वर्ष की अवधि के लिए या नियोजन के समाप्ति के 10 वर्षो के लिए, जो बाद में लागू हो, सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(ix) सिलकोसिस से प्रभावित कामगारों का स्वास्थ्य विवरणी नियोजन शुरू होने के कम से कम 40 बर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति के 15 वर्षो के पश्चात्